



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 18, 2019/ज्येष्ठ 28, 1941

No. 362]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 18, 2019/JYAISTHA 28, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2019

सा. का. नि. 431(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 27, 64, 88 की उपधारा (9), 110 और 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं; तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

केन्द्रीय सरकार द्वारा, उक्त प्रारूप नियमों की बावत, ऐसे किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वाक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा;

इन प्रारूप नियमों पर आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 ईमेल : jspb-morth@gov.in पर भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (...संशोधन) नियम, 2019 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, में नियम 8 का लोप किया जायेगा।

[सं. आरटी-11036/18/2019-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा और अंतिम संशोधन अधिसूचना सा.का.नि.....(अ) तारीख.....द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2019

G.S.R. 431(E).—The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 27, 64, sub-section (9) of section 88, 110 and 139 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government;
3. The objections or suggestions, if any, to these draft rules be sent to the Joint Secretary to the Government of India (MVL), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi or through e-mail: jspb-morth@gov.in within the period, specified above.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (..... Amendment) Rules, 2019.
(2) These rules shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, rule 8 shall be omitted.

[No.RT-11036/18/2019-MVL]

PRIYANK BHARTI Jt. Secy.

Note: The principal rules were published vide number G.S.R. 590(E) dated the 2nd June, 1989 and last amended vide number GSR.....(E) dated.....